

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

कार्यालय आदेश


—: शुद्धि पत्र :—

दिनांक-07.03.2024 की बैठक की कार्यवाही की कंडिका 24 के निर्णय में टंकण भूलवश "आपत्तिकर्ता के समय सारणी के मुख्य बिन्दु बिहारशरीफ में टकराव है" अंकित हो गया है, जबकि बिहारशरीफ मध्य बिन्दु है।

अतएव "आपत्तिकर्ता के समय सारणी के मुख्य बिन्दु बिहारशरीफ में टकराव है" के स्थान पर "आपत्तिकर्ता के समय सारणी के मध्य बिन्दु बिहारशरीफ में टकराव है" पढ़ा जाय।

साथ ही उक्त कार्यवाही की कंडिका 05, 08 एवं 12 में आपत्ति अप्राप्त रहने के कारण परमिट आवेदन की स्वीकृति बैठक में प्रदान की गयी है। भूलवश उसके निर्णय का कॉलम रिक्त रह गया है, जिसे स्वीकृत समझा जाय। कंडिका 05 के वाहन स्वामी मो0 आबिद हुसैन को निदेश दिया जाता है कि वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से कराने का शपथ पत्र समर्पित करेंगे। शपथ पत्र समर्पित करने के उपरांत ही परमिट निर्गमन की कार्रवाई की जायेगी।

आयुक्त-सह-अध्यक्ष के आदेश से


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।